मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ऋषभदेव
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– शैलेष सुराणा (RAS)

उनवान
श्री धनजी वगैरह बनाम शंकर फोत
लक्ष्मण पिता शंकर वगैरह

दावा बाबत धारा 88–188–53 आर टी एक्ट
मुकदमा नम्बर :–15/2012
निर्णय दिनांक :–22.05.2015

वादी की ओर से धनजी वगैरह की व प्रतिवादी की ओर से श्रीमति धुलकी एवं लक्ष्मण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.05.2015 को **शैलेष सुराणा** (नाम पीठासीन अधिकारी) **उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर– आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –**मौजा पीपली बी** की जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के खाता नं. 188 (वर्तमान जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के खाता संख्या 194) की आराजी नं. 3008/0.07–3009/0.06–3026/0.09 कुल किता 3 रकबा 0.22 हेक्टर श्री धनजी– नाथु पिता मंगला के नाम व आ.नं. 2914/0.12–3001/0.11–3024/0.06–3025/0.16 कुल किता 4 रकबा 0.45 हेक्टर श्री मांगीलाल– मोहन– पिता भेरा, आराजी नं.–2915/0.12–2916/0.10–3002/0.09–3031/0.17–3038/0.13 कुल किता 5 रकबा 0.61 हेक्टर श्री धुला– सुरेन्द्र पिता हगराम व आ.नं. 2362/0.19–2913/0.12–3032/0.15–3033/0.05–3041/0.03 कुल किता 5 रकबा 0.54 हेक्टर श्री रूपा पिता थावरा एवं आराजी नं. 2879/0.02–2880/0.02–2987/0.06–3006/0.08–3007/0.12–3037/0.05–3039/0.06–3040/0.04 कुल किता 8 रकबा 0.47 हेक्टर श्री लक्ष्मण पिता शंकर, धुलकी पत्नी शंकर 1/2– नाना पिता पुना 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे। **ग्राम नंगलाई** की जमाबंदी सवंत 2065 से 2068 खाता नम्बर 115 व हाल जमाबंदी सवंत 2069 से 2072 खाता नम्बर 114 के आराजी नम्बर 5065/0.27–5480/0.39 कुल किता 2 रकबा 0.66 हे. कृषि भूमि का विभाजन नही करके पक्षकारान संयुक्त खातेदारी हक में ही रखने की सहमति जाहिर की है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजीयात का विभाजन नही किया गया है। अतः ग्राम नंगलाई की इन दोनो आराजी नं. 5065/0.27 – 5480/0.39 को प्रारम्भिक डिक्री में की गई हिस्से अनुसार घोषणा के माफिक वादीगण तथा प्रतिवादीगण की अविभाजित संयुक्त हिस्सेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार वादीगण वादग्रस्त आराजीयात (भूमि) को पैतृक सम्पति साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में 100 रूपये से अधिक मूल्य की सम्पति हस्तांतरित होने पर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के प्रावधान लागू होते है तथा ऐसी हस्तांतरित सम्पति पर नियमानुसार देय मुद्रांक कर व पंजीयन राशि राजकोष में जमा कराया जाना आवश्यक है। अतः इस अन्तिम डिक्री की पालना कराने से पूर्व वादीगण को यह अन्तिम डिग्री उप पंजीयक (तहसीलदार) ऋषभदेव के कार्यालय में नियत समयावधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत करनी होगी तथा समस्त वादीगण को उनके हिस्से में आयी ग्राम पीपली ब तथा ग्राम नंगलाई की कृषि भूमि के हस्तांतरण पर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 तथा पंजीयन अधिनियम के तहत देय मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क राजकोष मे जमा करानी होगी। तत्पश्चात तहसीलदार ऋषभदेव अंतिम डिक्री की पालना राजस्व रिकॉर्ड में किया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिवादी श्री लक्ष्मण व धुलकी का 1/2 हिस्सा व नाना पिता पुना के 1/2 हिस्से पर कोई मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क देय नही होगा।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।
यह डिक्री आज तारीख 22.05.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

22/5/15

(शैलेष सुराणा)
(पीठासीन अधिकारी)
उपखंड अधिकारी
ऋषभदेव

वाद के खर्चे